

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 03/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/9

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		शंकरलाल देवासी पुत्र हरजीराम निवासी राईकों का बास ग्राम वोपारी तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल मालिक फर्म मैसर्स होटल जंगल नॉनवेज होटल खैरवा रोड़ इण्डेन गैस गोदाम के पास पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार उपस्थित।

निर्णय :-

दिनांक:- 28/05/2025



प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से 2 जब्तसुदा सिलेण्डरों, दो छोटी भट्टी को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.12.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री महेन्द्र कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 225 पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान खैरवा रोड़ इण्डेन गैस गोदाम के पास स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स होटल जंगल (नॉनवेज होटल) पर पहुंचे। मौके पर शंकरलाल देवासी उपस्थित मिले जिन्होंने खुद को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान पारसमल पुत्र हजारीलाल निवासी 5, सुर्या कॉलोनी पाली एवं श्री जगदीश पुत्र धनाराम देवासी निवासी कुरणा, तहसील पाली हाल कर्मचारी होटल जंगल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के पाये गये। मौके पर अप्रार्थी घरेलु गैस सिलेण्डर से जुड़ी दो भट्टीयों पर व्यजन बना रहा था। जिनके बारे में

फर्म मालिक से पुछने एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

सारणी-1

(वजन Kg.में)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	20.000	15.800	3.200	774728
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.900	15.900	0.000	535265
दो छोटी भट्टी							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्रवण सिंह पुत्र धनसिंह निवासी 235, जनता कॉलोनी पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 02 गैस सिलेण्डरों एवं दो छोटी भट्टी को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि वह अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करता है और प्रार्थी द्वारा जो गैस सिलेण्डर जब्त किये गये वह प्रार्थी के परिचितों के हैं जो रिफिल हेतु उनके प्रतिष्ठान पर रखे हुये थे। अप्रार्थी द्वारा उन सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक तौर पर नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी ने मिथ्या एवं गलत प्रकरण पेश कर उक्त सिलेण्डर को जब्त किया है। इसलिये हस्तगत प्रकरण विधिविरुद्ध होने से खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर मय छोटी भट्टी अप्रार्थी को लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स होटल जंगल खैरवा रोड इण्डेन गैस गोदाम के पास पाली पर

अति. जिला क्लर्क, पाली

घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण

दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान पारसमल पुत्र हजारीलाल निवासी 5, सुर्या कॉलोनी पाली एवं श्री जगदीश पुत्र धनाराम देवासी निवासी कुरणा, तहसील पाली हाल कर्मचारी होटल जंगल की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में कुल 02 गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के पाये गये, जो मौके पर भट्टी से जुड़े हुये थे और उस पर व्यंजन बनाया जा रहा था। अर्थात् उक्त गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी तार्ईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित 02 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 02 गैस (इण्डेन कम्पनी) सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है एवं जब्तसुदा दो छोटी भट्टी अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले./नीति/6A/89 जयपुर दिनांक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर पाली

